



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61237

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 4137/2026

उमेश कुमार मौर्या

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सुरेश कुमार मौर्या

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी., महेन्द्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या- 29

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 13.03.2026 के आदेश के अनुपालन में आज न्यायालय में निर्देशों की एक प्रति दाखिल की है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार मौर्या की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.के. सिंह; उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रत्यर्थी संख्या 2) के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार ओम; और राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद अपेक्षित शुल्क जमा नहीं कर सका और निर्धारित प्रपत्र/दस्तावेज जमा नहीं कर सका, जिससे वह सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड परीक्षा-2025 की आगामी अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हो गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. रिकॉर्ड से जो तथ्य सामने आए हैं, वे यह हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रधान सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा-2025 के तहत सहायक शिक्षक के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने सहायक शिक्षक (जीव विज्ञान) के पद के लिए उपरोक्त विज्ञापन के लिए आवेदन किया और प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। इसके बाद, उन्हें अपेक्षित शुल्क जमा करना था और आवश्यक दस्तावेज 16.03.2026 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने और 23.03.2026 तक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता थी। वर्तमान याचिकाकर्ता के प्रकरण के अनुसार, तकनीकी खराबी के कारण, वह शुल्क जमा नहीं कर सका और 16.03.2026 तक आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं कर सका।

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.के. सिंह ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिकाकर्ता का प्रकरण सहानुभूतिपूर्ण विचार के योग्य है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बावजूद, वह तकनीकी कठिनाइयों के कारण 16.03.2026 तक समय के भीतर अपेक्षित शुल्क जमा करने में असमर्थ था। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2022, **रिद्धि यादव बनाम उ०प्र० राज्य एवं 2 अन्य (रिट-A संख्या 13095 वर्ष 2022)** पर भरोसा किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **आकांक्षा दुल्ल एवं अन्य बनाम संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य, रिट याचिका (ओं) (सिविल) संख्या(ओं) 779/2022**, निर्णीत दिनांक 14.09.2022 पर आधारित है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उद्धृत प्रकरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी थी, जबकि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व ही इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

6. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने **रिद्धि यादव** (पूर्वोक्त) के प्रकरण को इस आधार पर अलग करने की मांग की है कि उक्त प्रकरण में, शुल्क उम्मीदवार द्वारा पहले ही जमा कर दिया गया था, हालांकि फॉर्म समय के भीतर जमा नहीं किया जा सका।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और रिकॉर्ड के अवलोकन पर, यह प्रकट होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा-2025 की प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। एक



तकनीकी त्रुटि के कारण, हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से गलती की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है, वह अपेक्षित शुल्क जमा नहीं कर सका और 16.03.2026 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं कर सका। दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि 23.03.2026 16.03.2026 तक ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि थी। युवा उम्मीदवार (याचिकाकर्ता) के करियर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मेरी सुविचारित राय में, उसे सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड परीक्षा-2025 की अंतिम परीक्षा में बैठने से रोकना उचित नहीं होगा। इसलिए, वर्तमान प्रकरण के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां वर्तमान याचिकाकर्ता का करियर दांव पर है और यदि उसे अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसे अपूरणीय पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है, एक सीमित भोग की आवश्यकता है।

8. तदनुसार, सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रत्यर्थी संख्या 2) को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को ऑनलाइन फॉर्म भरने और अपेक्षित शुल्क जमा करने की अनुमति दें, जिससे वह सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड परीक्षा-2025 की अंतिम परीक्षा में उपस्थित हो सके। याचिकाकर्ता को उन सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की भी अनुमति दी जाएगी जिन्हें 23.03.2026 तक नियमों के तहत जमा करना आवश्यक है। यह उम्मीद की जाती है कि याचिकाकर्ता के करियर को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सभी आवश्यक अभ्यास तेजी से पूरे किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड परीक्षा-2025 की अंतिम परीक्षा में उपस्थित हो सके। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को 30.03.2026 को सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

9. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश वर्तमान प्रकरण के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया है और इसे किसी अन्य प्रकरण में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

24 मार्च, 2026

विनय



(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!